



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 131-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 6, 2018 (SRAVANA 15, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 06 अगस्त, 2018

संख्या 73/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हैं, जिन्होंने हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 का पूर्ण प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 दायर नहीं किया है, किंतु 31 दिसंबर, 2017 तक केवल अनन्तिम पहचान संख्या (पीआईडी) (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, "ऐसे करदाता" कहा गया है), प्राप्त किया है, जो अब माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. ऐसे करदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली विशेष प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

- (i) ऐसे करदाताओं द्वारा नीचे दी गई सारणी के अनुसार ब्यौरे, अधिकारिता रखने वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को 31 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करने होंगे।

सारणी

1	अनन्तिम पहचान संख्या	
2	पूर्वतर विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या (करदाता पहचान संख्या (टिन)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्या)	
3	तिथि, जिसको पहली बार के लिए टोकन बांटा गया था	
4	क्या पूर्वोक्त प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 के भाग क को क्रियाशील बनाया गया है	हाँ/नहीं
5	करदाता के संपर्क ब्यौरे	
5क	ईमेल आईडी	
5ख	मोबाइल	
6	सिस्टम में स्थानान्तरण न करने के कारण	
7	अधिकारी की अधिकारिता, जिसने अनुरोध किया है	

- (ii) माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से ईमेल प्राप्त होने पर, ऐसे करदाताओं को <http://www.gst.gov.in/> पर लॉगइन करके "सर्विसेस" टेब में और हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन भर कर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

- (iii) समुचित अधिकारी द्वारा आवेदन का सम्यक् रूप से अनुमोदन करने के पश्चात्, ऐसे करदाता, आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन), एक नए जीएसटीआईएन और नए पहुंच टोकन का उल्लेख करते हुए जीएसटीएन से एक ईमेल प्राप्त करेंगे।
- (iv) ऐसी प्राप्ति पर, ऐसे करदाताओं से, 30 सितंबर, 2018 को या उससे पूर्व, migration@gstn.org.in पर, ईमेल द्वारा जीएसटीएन पर निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी :-
- (क) नया जीएसटीआईएन ;
- (ख) नए जीएसटीआईएन के लिए पहुंच टोकन ;
- (ग) नए आवेदन की आवेदन संदर्भ संख्या ;
- (घ) पुराना जीएसटीआईएन (पीआईडी) ।
- (v) ऐसे करदाताओं से उपरोक्त जानकारी की प्राप्ति पर, जीएसटीएन, पुराने जीएसटीआईएन से नए जीएसटीआईएन मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और ऐसे करदाताओं को सूचित करेगा ।
- (vi) ऐसे करदाताओं से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सृजित करने हेतु सामान्य पोर्टल www.gstn.gov.in पर "पहली बार लॉग-इन" के रूप में पुराना जीएसटीआईएन प्रयोग करके लॉगइन करना अपेक्षित होगा ।
3. ऐसे करदाता प्रथम जुलाई, 2017 से रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 6th August, 2018

No.73/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons who did not file the complete **FORM GST REG-26** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 but received only a Provisional Identification Number (PID) (hereinafter referred to as "such taxpayers") till the 31st December, 2017 may now apply for Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN).

2. The special procedure to be followed for registration of such taxpayers is as detailed below:-

- (i) The details as per the Table below should be furnished by such taxpayers to the jurisdictional nodal officer of the Central Government or State Government on or before the 31st August, 2018.

Table

1	Provisional ID	
2	Registration Number under the earlier law (Taxpayer Identification Number (TIN)/Central Excise/Service Tax Registration number)	
3	Date on which token was shared for the first time	
4	Whether activated part A of the aforesaid FORM GST REG-26	Yes/No
5	Contact details of the taxpayer	
5a	Email id	
5b	Mobile	
6	Reason for not migrating in the system	
7	Jurisdiction of Officer who is sending the request	

-
- (ii) On receipt of an e-mail from the Goods and Services Tax Network (GSTN), such taxpayers should apply for registration by logging onto <https://www.gst.gov.in/> in the “Services” tab and filling up the application in **FORM GST REG-01** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.
 - (iii) After due approval of the application by the proper officer, such taxpayers will receive an email from GSTN mentioning the Application Reference Number (ARN), a new GSTIN and a new access token.
 - (iv) Upon receipt, such taxpayers are required to furnish the following details to GSTN by e-mail, on or before the 30th September, 2018, to migration@gstn.org.in:—
 - (a) New GSTIN;
 - (b) Access Token for new GSTIN;
 - (c) ARN of new application;
 - (d) Old GSTIN (PID).
 - (v) Upon receipt of the above information from such taxpayers, GSTN shall complete the process of mapping the new GSTIN to the old GSTIN and inform such taxpayers.
 - (vi) Such taxpayers are required to log onto the common portal www.gstn.gov.in using the old GSTIN as “First Time Login” for generation of the Registration Certificate.
3. Such taxpayers shall be deemed to have been registered with effect from the 1st July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.